न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

खेमादास पिता वेलाजी तावड, निवासी जामुन, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हाकरचन्द पिता कोला मीणा, निवासी मादला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नी हाकरचन्द मीणा, निवासी मादला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भूराजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर
दिनांक 11.02.2017, प्र.सं. 7 / 2012

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लीलाधर विश्नोई अभिभाषक रेस्पो. 1, 2
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मादला की आराजी नंबर 132 रकबा 1.10 हैक्टर पर उसका 25 वर्षो से कब्जा है तथा इस भूमि पर उसका मकान व मवेशी घर बना रखा है, जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी की पुत्री व पुत्रबधू के नाम धारा 91 की कार्यवाही विचाराधीन है, इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर

दिनांक 30–11–1995 को अपने नाम आवंटन करवा लिया, जो पूर्णतया विधि विपरीत है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं हैं तथा आवंटन पूर्व उद्घोषणा भी जारी नहीं की गयी है। आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अतएवं आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव मादला का निवासी नहीं होकर जामुन का निवासी है तथा उक्त भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी का इस भूमि पर मकान व मवेशी घर नहीं बना हुआ है। धारा 91 की कार्यवाही से कब्जा नहीं माना जा सकता। विपक्षी/आवंटी को आवंटन नियमानुसार किया गया है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गयी, जिसमें रिपोर्ट प्राप्त हुई कि मौके पर 0.20 पर काश्त प्रार्थी खेमा की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने व साक्ष्य के बाद अपने निर्णय दिनांक 11–02–2017 से अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश को बहाल रखा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–04–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री लीलाधर विश्नोई उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए उसे अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि आवंटन की कार्यवाही मौके पर नहीं की जाकर अन्य स्थान पर की गयी है। आवंटन विधिवत नहीं हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं है, कब्जा अपीलान्ट का है। पटवारी रिपोर्ट में

मौके पर 0.20 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट का कब्जा पाया गया है। आवंटन भूमि की खातेदारी प्राप्त हो जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की समस्त आपत्तियों पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का सिर्फ प्रमुख कथन यह है कि आवंटन विधिवत रूप से नहीं हुआ है, परन्तु आवंटन के विधिवत नहीं होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आवंटन की विधिवत उद्घोषणा नहीं होने बाबत् भी कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर समायत योग्य नहीं है।

अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि उसका भूमि पर कब्जा है। राजकीय भूमि पर कब्जेधारी अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता तथा अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने बाबत् भी कोई प्रमाणन नहीं है। यदि उसका पुराना कब्जा था तो उसके द्वारा आवंटन/नियमन बाबत् कोई आवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इस हेतु भी कोई कारण या साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि भूमि के कुछ रकबे पर 0.20 हैक्टर पर अपीलान्ट का कब्जा था, परन्तु इससे पूर्व ही रेस्पोन्डेन्ट/आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, जो आवंटन शर्तो की पालना किये जाने व कब्जे के आधार पर दिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में यह कदापि नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट/प्रार्थी का पूर्व से ही कब्जा हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की समस्त आपत्तियों पर आख्यापक विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–02–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर